(घ) गुजरात में 5.08 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर अब तक 8 स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं। ब्यौरे विवरण पर है।

विवरण

गुजरात में स्वीकृत आठ स्कीमों के ब्यौरे

राज्यः गुजरात

स्वीकृत परियोजनाएं — लाख रुपये

क्र० सं०	कस्बे का नाम	स्वीकृति माह/वर्ष	परियोजना लागत
1.	धरमपुर	मार्च, 94	54.00
2.	वंटवा	"	38.50
3.	धोल	"	132.60
4.	ओखा पोर्ट	"	14.60
5.	जोदिया	"	110.25
6.	मेन्दरदा	"	49.00
7.	बरवाला	जनवरी, 96	90.94
8.	सूरजकराडी	"	18.20
	योग		508.09

मध्य प्रदेश में छोटे और मध्यम नगरों का विकास

309. **श्री दिलीप सिंह जूदेवः** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में मंझोले और छोटे नगरों की संख्या कितनी है और उनमें कितनी जनसंख्या निवास करती है;

(ख) 1996-97 के दौरान ऐसे शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए और वहां रह रही आबादी को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था और इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार वास्तविक रूप से कितनी धनराशि दी गयी;

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि मांगी गयी थी और यह राज्य के किन-किन नगरों के लिये मांगी गयी थी; और

(घ) मध्य प्रदेश में मंझोले और छोटे नगरों के विकास के लिये दी गयी वित्तीय सहायता और उनके विकास तथा वहां रोजगार के अवसरों में सुधार हेतु जारी किये गये दिशा-निर्देशों और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलू): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 108.75 लाख आबादी वाले 428 छोटे तथा मझौले शहर हैं।

(ख) छोटे तथा मझौले शहरों के समन्वित विकास की योजना के तहत 1997 के दौरान राज्यवार केन्द्रीय अनुदान का नियतन और इस प्रयोजनार्थ वास्तव में जारी राशि के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मध्य प्रदेश में 72 शहरों के लिए अब तक 2118.21 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। दिसम्बर, 1996 तक राज्य सरकार ने आई डी एस एम टी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर 2858.27 लाख रुपये के कुल व्यय की सूचना दी है। जारी केन्द्रीय सहायता और सूचित व्यय के शहर-वार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)। आई डी एस एम टी स्कीम के संशोधित दिशानिर्देशों की खास-खास बातें विवरण -III में दी गई हैं।

विवरण-I

1996-97 के दौरान आई डी एस एम टी स्कीम के तहत राज्यवार अनुदान नियतन और जारी राशि

क्र० सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय नियतन 1996-97	जारी राशि (रुपये लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	225.00	185.00*
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.00	—
3.	असम	60.00	60.00
4.	बिहार	120.00	75.00
5.	गोवा	16.00	—
6.	गुजरात	135.00	110.00*
7.	हरियाणा	50.00	10.00
8.	हिमाचल प्रदेश	16.00	15.00
9.	जम्मू तथा कश्मीर	71.00	55.00
10.	कर्नाटक	150.00	183.00*
11.	केरल	30.00	25.00
12.	मध्य प्रदेश	200.00	100.10

क्र० सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय नियतन 1996-97	जारी राशि (रुपये लाखों में)
13.	महाराष्ट्र	235.00	193.00
14.	मणिपुर	16.00	13.00
15.	मेघालय	16.00	—
16.	मिजोरम	16.00	16.00
17.	नागालैंड	16.00	13.00
18.	उड़ीसा	30.00	25.00
19.	पंजाब	50.00	16.00
20.	राजस्थान	145.00	117.00
21.	सिक्किम	16.00	—
22.	तमिल नाडु	60.00	45.90
23.	त्रिपुरा	16.00	13.00
24.	उत्तर प्रदेश	365.00	295.00*
25.	प० बंगाल	130.00	106.00
26.	पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र	10.00	—
	योग	2210.00	1671.00

*1995-96 के दौरान शामिल 22 शहरों के लिए उपर्युक्त अनुदान राशि के अलावा निर्धारित नियतन से अधिक आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए क्रमशः 166.00 लाख, 35.00 लाख, 17.00 लाख और 103 लाख रुपये (कुल : 321 लाख रु० अनुदान) की अतिरिक्त राशि शेष राशि की प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई है इस प्रकार, 1996-97 के दौरान कुल 1992.00 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान जारी किया गया था।

नोटः नियतन में से वास्तव में जारी केन्द्रीय अनुदान, अधिकतर राज्यों में फरवरी, 199 के दौरान आई डी एस एम टी स्कीम के नियतन पर लगाई गई वजट कटौती के कारण कम है।

विवरण-II

मध्य प्रदेश सरकार को आई डी एस एम टी स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय सहायता तथा सूचित व्यय के शहरवार ब्यौरे

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	शहर	जारी केन्द्रीय सहायता	दिसम्बर,96 तक सूचित व्यय
1.	बिलासपुर	48.75	122.63
2.	खजुराहो	39.73	33.03
3.	देवास	40.00	92.95
4.	इटारसी	47.30	92.43
5.	रेवा	46.40	181.94
6.	कटनी	42.40	64.23
7.	बरहामपुर	47.30	136.92
8.	मुरैना	39.00	105.28
9.	डूंगरगढ़	40.00	70.29
10.	राजनन्द गांव	40.00	63.62
11.	बालाघाट	45.10	79.42
12.	छिन्दवाड़ा	39.09	82.85
13.	हरदा	40.00	100.61
14.	बैदान	40.00	197.99
15.	गुना	39.00	79.42
16.	सिद्धी	39.00	82.86
17.	हौसंगाबाद	50.16	51.83
18.	मदरवाड़ा	46.87	70.10
19.	पंचमढ़ी	23.76	12.48
20.	अमरकंटक	45.00	73.02
21.	कोटा	15.40	21.77
22.	सहढोल	48.70	116.72
23.	चन्दर	10.00	19.40
24.	नूह	13.54	0.00
25.	मह	40.82	50.87

क्र॰ सं॰	शहर	जारी केन्द्रीय सहायता	दिसम्बर,96 तक सूचित व्यय
26.	जगदलपुर	40.00	54.07
27.	रतलाम	46.00	135.45
28.	भिलाई दुर्ग	29.75	48.70
29.	रायपुर	46.00	53.34
30.	बैतुल	46.00	61.37
31.	अब्दुल्ला गंज	25.00	0.00
32.	सिमच	46.00	85.91
33.	भिंड	27.50	84.98
34.	दानोह	27.50	42.63
35.	सिहोर	40.00	44.16
36.	विदिशा	45.00	12.71
37.	पन्ना	27.50	12.48
38.	दतिया	10.00	0.00
39.	खरगौन	40.00	87.86
40.	शिवपुरी	25.00	0.00
41.	राजगढ़	20.00	0.00
42.	सागर	25.00	49.52
43.	मन्दसौर	15.00	34.25
44.	टिकमगढ़	60.00	38.75
45.	मांडला	24.00	0.00

विवरण-III

छोटे तथा मझौले शहरों के एकीकृत विकास की योजना के संशोधित दिशानिर्देश

छोटे तथा मझौले शहरों के एकीकृत विकास की योजना का उद्देश्य अवस्थापना सेवा सुविधाओं वाले चुनिन्दा क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्रों का विकास करना है। इसका उद्देश्य इन केन्द्रों को आर्थिक विकास तथा रोजगार अवसरों के केन्द्र के रूप में उभरने में सक्षम बन एवं ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे शहरों से लोगों को बड़े और मैट्रोपोलिटन शहरों में आकर बसने से रोक लगाना है। आई डी एस एम टी दिशानिर्देशों का संशोधन दो प्रमुख कारकों की वजह से जरूर हुआ:— (i) भारत के आर्थिक सुधार और (ii) संविधान (74वां) संशोधन अधिनियम का अधिनियमन/निवेश और विकास के केन्द्र बनते जा रहे शहरी क्षेत्रों में अवसर अवस्थापना को सुदृढ़ बनाने और जनता को सत्ता सौंपने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकरण सुधार को बढ़ावा देने की जरूरत को ध्यान में देते हुए छठी योजना से चल रही आई डी एस एम टी स्कीम के दिशा निर्देशों में कुछ संशोधनों का मंत्रीमंडल द्वारा 18-7-95 को अनुमोदन किया गया। इनमें से महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:—

1. वाई डी एस एम टी स्कीम के दायरे को 5 लाख तक की आबादी वाले शहरों तक बढ़ाना।

2. नई वित्त व्यवस्था पद्धति इस प्रकार है:—

शहर की श्रेणी जनसंख्या	परियोजना लागत	केन्द्रीय सहायता (अनुदान) अधिकतम	राज्य अंश (अनुदान)	हडको ऋण/ अन्य वित्तीय संस्थापना अन्य स्रोत
			(रुपये लाखों में)	
क. (20000 से कम)	100	48	32	20 (20)%
ख. (20000-50000)	200	90	60	50 (25)%
ग. (50000-100000)	350	150	100	100 (29)%
घ. (1-3 लाख)	550	210	140	200 (36)%
ङ. (3-5 लाख)	750	270	180	300 (40)%

उपर्युक्त परियोजना लागत, "न्यूनतम परियोजना लागत" अवधारणा पर आधारित है, जिसका आशय यह है कि किसी श्रेणी विशेष के एक शहर की परियोजनाओं की लागत "परियोजना लागत" कालम में उस श्रेणी के लिए दर्शाई गई राशि के बराबर होगी।

3. समग्र शहरी तथा क्षेत्रीय विकास संबंधी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए चुनिन्दा शहरों तथा कस्बों को लाभकारी, किफायती और गैर लाभकारी परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम बनाना।

4. एक सशक्त नियोजन प्रक्रिया जिसमें राज्य शहरी विकास कार्य नीति दस्तावेज, नगर/कस्बा निवेश योजनाओं और उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आई डी एस एम टी परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल होगा।

5. 74वें संशोधन अधिनियम की तर्ज पर सतत् आधार पर अवस्थापना विकास का संवर्द्धन करने के लिए म्युनिसिपल स्तर पर आवृति कोष के सृजन सहित म्युनिसिपल सुधारों का एक पैकेज।

Scarcity of potable water in Karnataka towns

310. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether there is scarcity of potable water in some towns of Karnataka;

(b) if so, the names thereof; and

(c) the steps taken by the Central Government to remove the scarcity?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) No information regarding scarcity of potable water in Karnataka has been received from the State Government. Water supply being a State subject, it is the responsibility of the State Government to design, plan and execute, operate and maintain the same for the people of the State.

(c) Under the Centrally sponsored Accelerated Urban Water Supply Programme applicable to towns having population less than 20,000 (as per 1991 Census), 8 schemes have been approved for Belure, Saligrama, Chittaguppa, Kuttur, Kerur Mundargi, Sadalga and Navalgund towns at the project cost of Rs. 475.70 lakhs and 50% Central assistance amounting to Rs. 237.85 lakhs has been provided to the State Government for implementation of the Schemes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the Members are not in a mood...क्योंकि ये दो मामले ऐसे हैं जिन पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है।...*(Interruptions)*...

It is better to adjourn the House till lunch. The House is adjourned till 2 p.m.

The House then adjourned at twenty-six minutes past eleven of the clock.

The House re-assembled after lunch at two minutes past two of the clock

THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 1997.

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 1997, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 23rd July, 1997."

Madam, I lay the Bill on the Table.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Statement showing the Bills passed by the Houses of Parliament during the Hundred and Eightieth Session of the Rajya Sabha and assented to by the President.